::कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर ::

:: आदेश ::

क्वीन मेरीज गर्ल्स स्कूल, अजमेर को राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था नियम - 1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सत्र 98-99 से उ.प्रा.स्तर को अस्थाई मान्यता अंग्रेजी माध्यम से आगामी तीन सत्र हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं शपथ पत्र के आधार पर निम्नांकित शर्तों की पूर्ति पर दी जाती है।

मान्यता शर्तों की पालना न करने अथवा किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय किसी विपरीत स्थिति पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जा सकती है। यदि यह संस्था हिन्दी माध्यम से मान्यता प्राप्त है तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) संस्था की हिन्दी माध्यम से मान्यता तत्काल निरस्त कर आदेश की प्रति निदेशालय को प्रेषित करे।

यह संस्था का उत्तरदायित्व होगा कि वह निर्धारित अवधि में मान्यता नियमों के अनुसार अपना प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को यथा समय प्रस्तुत करेगी, अन्यथा मान्यता स्वतः ही निरस्त समझी जावे।

1) परिशिष्ट - 2 की समस्त शर्तें पूर्ण करें।

आज्ञा से,
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांक-शिविरा/प्रार/प्र.थ/सी/3769/98-99/146 दिनांक 7/9/98

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1) जिला शिक्षाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा-प्रथम, अजमेर।
2) सचिव, क्वीन मेरीज कर्ल्स स्कूल, विश्राम स्थल के सामने, पुष्कर रोड, अजमेर।
3) गार्ड पत्रावली।

7.9.98
अपर निदेशक (प्रा.शि.)
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

Principal
Queen Mary's Girls School
AJMER

Secretary
Queen Mary's Girls School
S.K. Kaul Nagar, Pushkar Road, AJMER